दिनांक 19.05.2015 को सचिव, ग्रामीण विकास विभाग की अध्यक्षता में सम्पन्न उप विकास आयुक्तों के साथ विडियो कॉफ्रेन्सिंग की कार्यवाही -

मनरेगा

सर्वप्रथम, सचिव, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा महात्मा गाँधी नरेगा के कार्यान्वयन की धीमी प्रगति पर चिन्ता व्यक्त की गई । इस माह के अनुमोदित श्रम बजट के अनुपात में सृजित मानव दिवस की प्रगति पर खेद प्रकट किया गया । राज्य में इस माह तक अनुमोदित श्रम बजट के विरूद्ध मात्र 3 प्रतिशत उपलब्धि पर चिन्ता व्यक्त की गई ।

- कैमूर (भभुआ), गया, शेखपुरा, शिवहर, किशनगंज, मुजफ्फरपुर, लखीसराय, नालन्दा, गोपालगंज, जमुई, मधेपुरा, मधुबनी, प0 चम्पारण, पूर्वी चम्पारण, पूर्णियाँ, रोहतास, सुपौल आदि जिलों के मानव दिवस सृजन की स्थिति पर चिन्ता व्यक्त की गई ।
- निर्देश दिया गया कि सभी जिले काम की मांग का निबंधन अभियान चलकर इच्छुक जॉब कार्ड धारियों से प्राप्त कर उसकी इन्ट्री MIS पर एक सप्ताह के अन्दर सुनिश्चित कराएं । सभी जिलों को यह निर्देश दिया गया कि काम की मांग का निबंधन कराकर ई- मस्टर रॉल निर्गत किए जाएं ।
- सभी जिलों को यह निर्देश दिया गया कि वित्तीय वर्ष 2015 - 16 में ग्राम सभा द्वारा पारित योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु Shelf of Project तैयार कर लिए जाए । इसके लिए अनिवार्य है कि प्राथमिकता के आधार पर चयनित योजनाओं की तकनिकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाए ताकि काम की मांग के अनुरूप इच्छुक जॉब कार्ड धारियों को काम दिया जा सके ।
- जिलों के द्वारा यह बताया गया है कि पिछले माह से पंचायत रोजगार सेवक हड़ताल पर हैं जिसके फलस्वरूप मनरेगा में काम की माँग का निबंधन नहीं हो पा रहा है।
- इस संबंध में निर्देश दिया गया कि मनरेगा के अन्य कर्मियों यथा, पंचायत तकनीकी सहायक, कार्यक्रम पदाधिकारियों आदि के माध्यम से काम की मांग का निबंधन कराया जाए । यह भी निर्देश दिया गया कि जिला स्तर पर पंचायत रोजगार सेवकों से हड़ताल के संबंध में वार्ता भी की जाए ।
- e-FMS की प्रगति की समीक्षा के क्रम में सभी जिलों को निर्देश दिया गया कि वित्तीय वर्ष- 2013 -14 एवं 2014 -15 के सभी दायित्वों के भुगतान हेतु FTO Generate कराया जाए ।
- वित्तीय वर्ष- 2014 -15 में गया, अररिया, अरवल, बांका, भागलपुर, बक्सर, जमुई, जहानाबाद, खगड़िया, किशनगंज, लखीसराय, मधुबनी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नालन्दा, नवादा, शेखपुरा, शिवहर, सीतामढ़ी, सीवान, सुपौल एवं वैशाली जिले में FTO Generation की प्रगति पर खेद प्रकट किया गया । सभी जिलों को निर्देश दिया गया कि Second Signatory स्तर पर लम्बित सभी FTO को भुगतान हेतु बैंक को प्रेषित किया जाए ।

- गया जिला अन्तर्गत बेलागंज, गुरूआ, बांकेबाजार, टककुप्पा, खगड़िया जिला अर्न्गत मानसी, मधुबनी जिला अन्तर्गत मधवापुर, फुलपरास, लौकहा, मुजफ्फरपुर जिला अन्तर्गत मुरौल, नालन्दा जिला अन्तर्गत बेन, परवलपुर, पूर्णियाँ जिला अन्तर्गत श्रीनगर, सीवान जिला अन्तर्गत महाराजगंज एवं रघुनाथपुर तथा वैशाली जिला अन्तर्गत वैशाली एवं सहदेई प्रखंडों में एक भी FTO नहीं Generate किए जाने पर क्षोभ व्यक्त किया गया ।

निर्देश दिया गया कि उपर्युक्त सभी प्रखंडों में एक सप्ताह के अन्दर FTO Generate करते हुए सभी लम्बित दायित्वों का भुगतान सुनिश्चित किया जाए ।

- जिलों द्वारा मनरेगा अन्तर्गत रखी गई राशि को राज्य कों लौटाने के समीक्षा के क्रम में यह ज्ञात हुआ कि अभी भी शत-प्रतिशत राशि राज्य को वापस नही की गई हैं । इस संबंध में सभी जिलों को निर्देश दिया गया कि जिले में पड़ी सभी राशि (पंचायत एवं प्रखंड स्तर सहित) को एक सप्ताह के अन्दर राज्य को लौटायी जाए ।

<u>इन्दिरा आवास योजना</u>

- इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 के लक्ष्य के अनुरूप लाभुकों का Registration MIS पर नहीं करने वाले जिलों को निदेश दिया गया कि वे वर्ष 2015-16 के भौतिक लक्ष्य के अनुरूप लाभुकों का पंजीकरण आवास सॉफ्ट पर करें साथ ही लाभुकों से संबंधित बैंक खाता संख्या, जॉब कार्ड नम्बर, SBM पहचान संख्या इत्यादि भी आवास सॉफ्ट पर दर्ज करें ।
- सभी उपविकास आयुक्तों को भारत सरकार के दिशा-निर्देश के अनुरूप यह निदेश दिया गया कि वे आवास सॉफ्ट पर भौतिक लक्ष्य से ज्यादा भी योग्य लाभुकों का पंजीकरण कर सकते हैं जिसका उपयोग 'स्थाई प्रतीक्षा सूची' के रूप में आगे के वित्तीय वर्षों में किया जा सकता है ।

<u>माननीय उच्च न्यायालय में लंबित वाद</u>

- सभी जिलों के साथ माननीय उच्च न्यायालय में लंबित वादों की समीक्षा भी की गई । सभी उपविकास आयुक्तों को यह निदेश दिया गया वे लंबित समादेश याचिका में प्रतिशपथ पत्र तथा लंबित अवमानना वादों में कारण-पृच्छा शीघ्र दायर करें । विभिन्न जिलों में लंबित वादों की स्थिति अनुलग्नक के रूप में संलग्न है ।

<u>SECC</u>

सर्वप्रथम सचिव, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा SECC के शेष कार्यों की समीक्षा की गई । सुपौल, दरभंगा, औरंगाबाद, अररिया, किशनगंज जिलों के PDF तैयार हैं तथा इन जिलों से सूची के अंतिम प्रकाशन की तिथि नहीं भेजने के कारण प्रकाशन लंबित है । उप विकास आयुक्त, दरभंगा, किशनगंज, अररिया द्वारा बताया गया कि उन्हें PDF नहीं मिला है । सचिव द्वारा निदेश दिया

गया कि ECIL द्वारा PDF अगले दिन ही इन जिलों को भेजा जाय तथा प्रकाशन की कार्रवाई की जाय । इन जिलों के अंतिम सूची प्रकाशन के उपरांत बिहार के 38 जिलों में से 31 जिलों का SECC अंतिम सूची का प्रकाशन हो जाएगा । सुपौल ने अंतिम प्रकाशन की तिथि दिनांक-25.05.2015 बताया ।

AADHAR

सचिव, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा आधार की समीक्षा की गई । उन्होंने बताया कि जिन 12 जिलों में तस्वीर वाली Flex दिए गए थे, उनके अलावा शेष जिलों में बिना तस्वीर वाली Flex आपूर्ति की गई है, जो कि अधिकांश जिलों में अप्रयुक्त पड़ी हुई है । कहीं भी इसका प्रदर्शन नहीं किया गया है । इन्हें जिला एवं प्रखंड में मुख्य स्थलों पर अनिवार्य रूप से प्रदर्शित किया जाय ताकि आधार कार्य का प्रचार-प्रसार हो।

- उप विकास आयुक्त, किशनंगज द्वारा बताया गया कि SR/NSR द्वारा किए जा रहे आधार पंजीकरण कार्य का डाटा एजेंसीवार उपलब्ध कराया जाय । ADG, UIDAI, पटना द्वारा बताया गया कि यह तत्काल संभव नहीं है । SR/NSR एजेंसी की सम्पूर्ण सूची उनके समन्वयक के नाम एवं मोबाइल संख्या सभी DM/DDC/BDO को उपलब्ध कराया जाय ।
- उप विकास आयुक्त, सीतामढ़ी ने बताया कि Bloom solution एजेंसी का समन्वयक अब तक वहाँ नहीं पहुँचा है । सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि उक्त एजेंसी को तत्काल सीतामढ़ी भेजा जाय । उप विकास आयुक्त, किशनगंज ने बताया कि उनके जिले में दो एजेंसी EMdee digitronics एवं softtech कार्य नहीं कर रहा है ।
- उप विकास आयुक्त, दरभंगा ने बताया कि उनके यहाँ Transline एजेंसी कार्य नहीं कर रहा है । ADG, UIDAI, ने बताया कि उसे Blacklisted कर दिया गया है।

सचिव, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा कहा गया कि आधार कार्य का अनुश्रवन मुख्य सचिव स्तर एवं प्रधानमंत्री कार्यालय स्तर से किया जा रहा है । अतः यह बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है । प्रत्येक जिला मुख्यालय एवं प्रखंड मुख्यालय में स्थायी आधार केन्द्र की स्थापना करना है, चाहे वह SR अथवा NSR एजेंसी द्वारा किया जाय । जिला में उप विकास आयुक्त, एवं प्रखंड में प्रखंड विकास पदाधिकारी, PEC के लिए स्थान उपलब्ध करायेंगे तथा इस कार्य का गंभीरता पूर्वक अनुश्रवण करेंगे ।

अंत में धन्यवाद के साथ वीडियो कान्फेंन्सिंग की कार्रवाही समाप्त की गई ।

21.5.15

सचिव

ग्रामीण विकास विभाग

बिहार, पटना ।

ज्ञापांक 232861 पटना, दिनांक 22/5/2015

प्रतिलिपि:- सभी जिला पदाधिकारी-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक/सभी उप विकास आयुक्त-सह-अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(राजीव कुमार)
परियोजना पदाधिकारी